राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

२ सैट

प्रेषित:-(1) समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान ।
(2) समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान ।

क्रमांक:- प.6(13)राज-6/92/1 जयपुर, दिनांक:- 18/3/2000

-: परिपत्र :-

राजस्व भूमियों पर खनन पट्टा जारी करने व अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के संबंध में इस विभाग द्वारा परिपत्र प.6(13)राज-6/92/25 दिनांक 29.12.94 जारी किया गया था । राज्य सरकार की जानकारी में आया है कि इस परिपत्र की आड़ में अनियमितताऐं हो रही है । अत: इस परिपत्र के क्रम में निम्न स्पष्टीकरण जारी किया जाता है :-

1. प्रथमत: यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि केवल राजकीय सिवाय चक पडत भूमि पर यह परिपत्र लागू होगा चरनोट भूमि के लिए ग्राम पंचायत से भी अनापत्ति लेना होगा ।

2. इस प्रकार की अनापत्ति निजी भूमि पर नहीं दी जा सकती है एवं निजी भूमि पर यह परिपत्र लागू नहीं होगा । निजी भूमि के लिए खाताधारी से भी अनापत्ति लेना लाजमी होगा ।

3. जहाँ तक निजी भूमियों के अवैध हस्तान्तरण से धारा 42(बी) / 46(ए)के प्रावधानों का प्रतिलंघन हुआ है वहां धारा 175 के अन्तर्गत तत्काल कार्यवाही की जानी चाहिए ।

8/3/2000

(शिव कुमार शर्मा)
शासन उप सचिव

मना ो ण/163के